

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव,
खेलकूद/युवा कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव,
पर्यटन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

चिकित्सा अनुभाग-9

विषय:-"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 31 मई, 2022 में यलो लाइन, कैम्पेन एवं विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ दिनांक 26 मई, 2022

महोदय,

जैसा कि सभी अवगत है कि विभिन्न स्रोतों के आँकड़ों से ही ज्ञात होता है कि तम्बाकू से होने वाले बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं एवं लगभग 5500 नये युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते हैं। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी समस्या है, जिस पर चैतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर जितना गम्भीर प्रभाव पड़ता है। उतना ही प्रभाव उसके आस-पास के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिसमें बच्चे एवं महिलाएं शामिल हैं। तम्बाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती हैं, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग तथा कैंसर प्रमुखता से हैं, जिसके लिये सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों को समाज में आवश्यक जागरूकता फैलाने एवं तम्बाकू प्रयोग के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इस वर्ष 2022 "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022" "Tobacco:Threat to our Environment." थीम पर मनाया जाना है। जिस हेतु विभिन्न विभागों की भूमिका एवं अपेक्षायें निम्नवत् हैं-

शिक्षा विभाग

विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थों गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाया जाय। विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु एक मानिट्रिंग कमेटी बनाया जाये जिससे विद्यालय प्रांगण में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारी एवं अभिभावक द्वारा तम्बाकू का प्रयोग न किया जाये। इसके साथ ही साथ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है, इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जाये। अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर उक्त का अनुपालन कराया जाये यदि विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचा जाता है तो इस सम्बन्ध में विद्यालयों द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किया जाये, जिससे पुलिस विभाग द्वारा कोटपा 2003 के अधिनियम की धारा 06 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभियान चला कर सभी विद्यालयों के वातावरण को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर विद्यालयों के 100 गज की दूरी तक यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। विद्यालयों में रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाये। उक्त गतिविधियों में 08-14 वर्ष के बच्चों में पोस्टर/पेन्टिंग एवं 14 से ऊपर के बच्चों में निबंध/रंगोली/प्रश्नोत्तर आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये तथा बच्चों में उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण भी किया जाये। जो भी विद्यालय/संस्थान तम्बाकू मुक्त विद्यालय की श्रेणी में आये, उसका उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया जाये एवं फ्लैग के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त विद्यालय" लिखवाते हुए प्रदर्शित किया जाये।

गृह विभाग

राज्य में कोटपा (2003) को सफलतापूर्वक लागू करने में गृह विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। साथ ही राज्य के सभी थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है, का साईन बोर्ड लगाते हुए इसका अनुपालन करवाया जाय एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 को पुलिस की मासिक क्राईम रिव्यू बैठक में सम्मिलित कराया जाये। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पुलिस कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। यदि विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचा जाता है तो इस सम्बन्ध में विद्यालयों के द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किये जाने पर पुलिस विभाग कोटपा 2003 के अधिनियम की धारा 06 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त गतिविधियों हेतु पुलिस विभाग द्वारा रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया जाये जिसमें कोटपा की धारा का उल्लंघन करने पर विद्यालय या छात्र द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किया जाये।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग

इस विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निगरानी रखा जाए, ताकि किसी भी तम्बाकू पदार्थ का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सके। साथ ही

टेलीविजन/सैंसर बोर्ड के माध्यम से होने वाले तम्बाकू के ग्लमैराईजेसन को रोका जाय। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दे पर सघन अभियान चलाया जाए। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी सूचना एवं जन संपर्क कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही विभाग तम्बाकू उत्पादन करने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकता है, उदाहरणस्वरूप-मनरेगा। साथ ही साथ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को कोटपा के नियमों से अवगत कराया जाय एवं इस हेतु प्रचार-प्रसार भी किया जाए। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी ग्राम्य विकास कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

खेल एवं युवा विभाग

खिलाड़ियों को सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारी से अवगत कराया जाए तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान यदा-कदा इस हेतु विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया जाये। किसी भी तम्बाकू निर्माता कम्पनी से महोत्सव/खेल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की सहायता ना ली जाए। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी खेल एवं युवा कल्याण कार्यालयों तथा विभाग के अधीन आने वाले स्पोर्ट्स कालेजों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग द्वारा बसों पर धूम्रपान न करने हेतु पोस्टर/नोटिस अंकित किया जाए तथा साथ ही बस के अंदर बैठे लोग धूम्रपान/गुटखा सेवन न करने के निर्देश अंकित करायें जायें। बस अड्डों एवं चेकपोस्टों पर धूम्रपान रोकने हेतु धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है, के बोर्ड प्रदर्शित किए जायें। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी परिवहन कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों, होटल/मोटल/रेस्टोरेंटों आदि में धूम्रपान निषेध क्षेत्र-"यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है" का साईन बोर्ड प्रदर्शित कराया जाए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को "तम्बाकू मुक्त" घोषित किया जाय। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पर्यटन कार्यालयों को "तम्बाकू मुक्त" बनाया जाये।

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग से अपेक्षा है कि तम्बाकू नियंत्रण का प्रचार-प्रसार गाँव-गाँव तक कराया जाये। पंचायती राज विभाग द्वारा कतिपय गाँव अथवा पंचायतों को "तम्बाकू मुक्त" घोषित किया जाए ताकि

इसका संदेश दूर-दूर तक फैले। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पंचायती राज कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों यथा-कार्यालयों, विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों व अन्य शासकीय भवनों में यलो लाइन कैम्पन हेतु निम्न क्रियाकलाप अपेक्षित है:-

- प्रतिष्ठानों/कार्यालयों के बाहरी बाउण्डरी/दिवारों पर पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिन्हाकन करने हेतु पेन्ट करें तथा उस स्थान पर तम्बाकू मुक्त संस्थान (संस्थान का नाम) लिखें।
- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्ष 2022 "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022" "Tobacco:Threat to our Environment." थीम पर मनाये जाने हेतु अपने विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार समस्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
Amrit Mohan Prasad
25/5/22
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

पत्र संख्या- 792 (1)/पॉच-9-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जन जागरूकता हेतु अपने स्तर से सर्व-संबंधित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि जनपद के समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
5. 217ई फाइल ।

आज्ञा से,
Ved Prakash Sharma
(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव।